

प्रेस नोट

दिनांक 02.04.2024

थाना को0नगर क्षेत्र अन्तर्गत जानलेवा हमला करने की घटना में संलिप्त 01 और अभियुक्त गिरफ्तार-

जनपद गोण्डा में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु श्री विनीत जायसवाल, पुलिस अधीक्षक गोण्डा के द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-925/23 धारा 147,148,149,324,307,323,504,506 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त पंकज गिरी पुत्र ईश्वरदीन गिरी निवासी महादेवा पोस्ट केशवपुर पहड़वा थाना को0नगर जनपद गोण्डा को गंगापुर् गोसाईपुरवा नहर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.10.2023 को वादी राम महेश गिरि पुत्र द्वारिका गिरि नि0 महादेवा पो0 केशवपुर पहड़वा थाना को0 नगर जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 23.10.2023 को प्रधान नरेन्द्र कुमार गिरि की छत पड़ रही थी उक्त अभियुक्त द्वारा अपने परिजनों के साथ मिलकर बिना किसी कारण वस गाली-गुप्ता देते हुए लाठी डण्डों से मारने पीटने लगे थे जिससे मेरे भाई रमेश गिरि व प्रधान जी को गम्भीर चोटें आयी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में मु0अ0सं0-925/23 धारा 147,148,149,324,307,323,504,506 भादवि बनाम आकाश गिरी आदि 08 नफर अभियुक्तों के विरुद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया था आज दिनांक 02.04.2024 को नामजद अभियुक्त पंकज गिरी पुत्र ईश्वरदीन गिरी निवासी महादेवा पोस्ट केशवपुर पहड़वा थाना को0नगर जनपद गोण्डा को इमरती विशेष आरा मशीन के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. पंकज गिरी पुत्र ईश्वरदीन गिरी निवासी केशवपुर पहड़वा, थाना को0नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 925/23 धारा 147,148,149,324,307,323,504,506 भादवि थाना कोतवाली नगर गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 पिंटू कुमार यादव थाना को0 नगर।
02. का0 दीपक कुमार
03. का0 राजेश कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 02.04.2024, थाना खरगपुर

जनपद गोण्डा।

थाना खरगपुर पुलिस द्वारा दहेज मृत्यु के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना खरगपुर पुलिस द्वारा कड़ी मेहनत व अथक मु०अ०सं० 89/2024 धारा 498A, 304B आईपीसी व 3/4 डी०पी० एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त दिनेश कुमार यादव पुत्र कृपाराम यादव निवासी ग्राम निधिनगर थाना खरगपुर जनपद गोण्डा को गांधी चबूतरा अचलनगर रोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.04.2024 को वादी द्वारा थाना खरगपुर में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी लडकी की शादी दिनेश कुमार यादव के साथ हुई थी। मेरी लडकी को ससुरालजनों द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते हुए जान से मार दिए है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खरगपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान दोषी पाये गए आरोपी अभियुक्त दिनेश कुमार यादव को आज दिनांक 02.04.2024 को गांधी चबूतरा अचलनगर रोड़ के पास थाना खरगपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना खरगपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. दिनेश कुमार यादव पुत्र कृपाराम यादव निवासी ग्राम निधिनगर थाना खरगपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं० 89/2024 धारा 498A,304B भादवि व 3/4 डी०पी० एक्ट थाना खरगपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ०नि० श्री चन्द्रसेन वर्मा

02. का० अमृष कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 02.04.2024, मानिट्रिंग सेल

जनपद गोण्डा।

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से दुराचार करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 10 वर्ष का कठोर कारावास व रूपये 20,000/- अर्थदण्ड की सजा-

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ जिसकी मॉनीट्रिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप महिला से दुराचार करने के आरोपी विश्राम बारी पुत्र तेज बहादुर निवासी आश्रम आवास निकट सर्किट हाऊस, थाना कोतवाली नगर गोण्डा को 10 वर्ष का कठोर कारावास व रु0 20,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा पीडिता के साथ दुराचार करने के आरोप में अभियुक्त विश्राम बारी पुत्र तेज बहादुर निवासी आश्रम आवास निकट सर्किट हाऊस, थाना कोतवाली नगर, गोण्डा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता, प्रभारी मॉनिट्रिंग सेल व थाना कोतवाली नगर के पैरोकार व कोर्ट मोहर्रि के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोण्डा द्वारा अभियुक्त विश्राम बारी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व रु0 20,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

अभियुक्त का नाम पता-

01. विश्राम बारी पुत्र तेज बहादुर निवासी आश्रम आवास निकट सर्किट हाऊस, थाना कोतवाली नगर, गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-45/2021, धारा 376ए,बी, भादवि 5(ड)/6 पॉक्सो एक्ट, 3(1)ब व 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 02.04.2024, थाना परसपुर
जनपद गोण्डा।

**थाना परसपुर पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-
कार्यवाही-**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी करनैलगंज श्री चन्द्रपाल शर्मा के नेतृत्व में थाना परसपुर पुलिस द्वारा कड़ी मेहनत व अथक मु०अ०सं० 91/2024 धारा 498A, 306 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रामेन्द्र उर्फ बबलू पाण्डेय निवासी मोहल्ला नौसहरा कस्बा व थाना परसपुर जनपद गोण्डा को भौरीगंज मोड़ के पास टैक्सी स्टैण्ड के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.03.2024 को वादी द्वारा थाना परसपुर में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी बहन की शादी रामेन्द्र उर्फ बबलू पाण्डेय के साथ हुआ था पति द्वारा अपनी कृषि भूमि को बेच दिया था जिसको मेरी बहन द्वारा जमीन के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर ससुराजनों द्वारा प्रताड़ित करते हुए जान से मार दिए है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना परसपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान दोषी पाये गए आरोपी अभियुक्त रामेन्द्र उर्फ बबलू पाण्डेय निवासी मोहल्ला नौसहरा कस्बा व थाना परसपुर जनपद गोण्डा को आज दिनांक 03.04.2024 को भौरीगंज मोड़ के पास टैक्सी स्टैण्ड के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. रामेन्द्र उर्फ बबलू पाण्डेय निवासी मोहल्ला नौसहरा कस्बा व थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं० 91/2024 धारा 498A, 306 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार शुक्ला
02. हे०का० आशुतोष पाण्डेय

मीडिया सेल, गोण्डा।